कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण, सैन्टेज प्रभार,एम0ओ0यू0

विषय सूची

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यो एवं साज–सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार का निर्धारण	सं0 163/xxvii(7)/2008 दिनांक 22 मई, 2008	7–10
2.	कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यो एवं साज–सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार का निर्धारण	सं0 594/xxvii(7)/2010 दिनांक 09 जून, 2010	11–12
3.	विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यो की प्रकिया को सरल एवं कारगर बनाये जाने के उद्देश्य से परियोजना की स्वीकृति दो चरणों में दिया जाना	सं0 571/xxvii(1)/2010, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010	13–14

संख्याः 163 /xxvii(7)/2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून, दिनांक **22 मई, 2008**

विषय :–कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यो एवं साज–सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या ए–2–87/दस 27–17(4)/75 दिनांक 27 फरवरी, 1997, जिसके अन्तर्गत कार्यदायी, संस्थाओं द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जा रहे कार्यो पर प्रतिशत–प्रभार की दर पुनरीक्षित की गई है, (सुलभ सन्दर्भ हेतु टंकित प्रति संलग्न) को एतद्वारा अतिकमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रतिशत प्रभार (सैन्टेज प्रभार) की व्यवस्था तत्काल प्रगाव से निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

1. <u>सैन्टेज प्रभार की दर :–</u>

(1) उन निर्माण कार्यो जिनकी लागत रू0 1.00 करोड़(रू0 एक करोड़) तक है : लागत का 10% (दस प्रतिशत)

(2) रू0 1.00(एक) करोड़ से अधिक परन्तु रू0 5.00 (पांच)करोड़ तक : लागत का 09% (नौ प्रतिशत)

(3) रू0 5.00(पांच) करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्य : लागत का 08% (आठ प्रतिशत)

2. <u>वास्तुविद सेवाऐं (Architechtural Services)</u> :–

निर्माण कार्य के लिए वास्तुविद सेवाऐं ग्राहक विभाग द्वारा यदि सीधे किसी तृतीय पक्ष से आउटसोर्सिंग द्वारा प्राप्त की जाती हैं तो उस दशा में निर्माण ईकाई/कार्यदायी संस्था को 02% (दो प्रतिशत) सैन्टेज प्रभार कम देय होगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मानक डिजाइन वाले भवन निर्माण कार्यो को छोड़कर रू0 1.00 करोड़ (रूपये एक करोड़) से अधिक लागत वाले भवन निर्माण कार्यो में तृतीय पक्ष से वास्तुविद

सेवाऐं अनिवार्य रूप से ली जायेंगी। वास्तुविद सेवाओं की अधिप्राप्ति ग्राहक विभाग अथवा कार्यदायी संस्था के माध्यम से उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट नियमावली 2008 के अनुसार की जाएगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वास्तुविद सेवाओं में, निम्नलिखित अगं सम्मिलित होंगे:–

(1) कन्सेप्ट प्लानिंग एवं स्कैच;
(2) अनुमानित लागत, ड्रांईग एवं विशिष्टियों;
(3) विस्तृत आगणन, ड्राइंग एवं विशिष्टया;
(4) निविदा आमंत्रण एवं अनुबन्ध गठन सम्बन्धी सलाह;
(5) विस्तृत वर्किंग ड्राइंग / डिजाइन / गुणवत्ता नियंत्रण; एवं
(6) निर्माण के दौरान स्थलीय भ्रमण द्वारा पर्यवेक्षण।

3. <u>लागत व निर्माण अवधि में वृद्धि को हतोत्साहित किया जाना:</u>

(1) जिन निर्माण कार्यों की निर्माण अवधि 18 (अठारह) माह तक होगी उनमें लागत का पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा।

(2) शेष निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में निर्माण कार्य पूर्ण करने में कार्यदायी संस्था की ओर से किये गये विलम्ब की दशा में निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि उपरान्त अग्रेत्तर तीन माह तक के विलम्ब की दशा में प्रतिमाह 0.1% (दशमलव एक प्रतिशत) तथा उससे अधिक विलम्ब की दशा में प्रतिमाह 0.25% (दशमलव दो पांच प्रतिशत) की कटौती कार्यदायी संस्था को देय सैन्क्शन प्रभार से की जायेगी।

(3) ग्राहक विभाग व निर्माण ईकाई (कार्यदायी संस्था) के मध्य निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही निर्माण के विभिन्न चरणों तक तथा पूर्ण निर्माण के लिए अवधि नियत की जायेगी एवं इस निर्माण अवधि को सम्मिलित करते हुए दोनों के मध्य एम0ओ0यू0 / अनुबन्ध हस्ताक्षर किया जायेगा। एम0ओ0यू0 / अनुबन्ध में धनराशि मांग की समयसारिणी (fund flow schedule), कार्ययोजना एवं निर्माण कार्य प्रगति की समयसारिणी / लक्ष्य भी इंगित किया जायेगा। ग्राहक विभाग द्वारा निर्माण ईकाई को अग्रेत्तर किश्ते तब ही अवमुक्त की जायेंगी जब पूर्व किश्तों के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उक्तानुसार नियत किये गये चरणबद्ध निर्माण लक्ष्य को निर्धारित समयावधि के सापेक्ष पूर्ण कर लिए जाने की स्थिति प्रस्तुत कर दी जायेगी। इस हेतु मानक एम0ओ0यू0 / अनुबन्ध का आलेख वित्त विभाग द्वारा पृथक से तैयार किया जायेगा परन्तु तब तक प्रत्येक प्रकरण में ग्राहक विभाग उपरोक्तानुसार यथोचित रूप से कार्यदायी संस्था से undertaking अवश्य सम्पादित कर लेंगे।

4. **अनुश्रवण/गुणवत्ता नियंत्रण :–**

प्रत्येक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। रू0 05.00 करोड़ (रूपये पांच करोड़) से अधिक लागत के निर्माण कार्यों हेतु यह व्यवस्था बाध्यकारी होगी। गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण के लिए तृतीय पक्ष के चयन आदि कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा एवं उनका भुगतान भी नियोजन विभाग के बजट से किया जायेगा। ग्राहक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियोजन विभाग के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण कार्य हेतु तृतीय पक्ष को निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के समय तक नियोजित कर लिया जाय। गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण हेतु नियोजित तृतीय पक्ष की नियमित चरणबद्ध रिर्पोट ग्राहक विभाग, वित्त विभाग व नियोजन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। ग्राहक विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में इंगित की गई त्रुटियों का निराकरण व कार्यवाही समय से कर लिया जाये तथा सुझावों पर कार्यवाही की जाये।

5. **साज–सज्जा कार्यों हेतु सैन्टेज प्रभार :**

साज–सज्जा, उपकरण आदि कार्य कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराये जाने की दशा में सैन्टेज प्रभार मात्र 01% (एक प्रतिशत) देय होगा।

कृपया सैन्टेज प्रभार व सम्बन्धित बिन्दुओं पर तदानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या : 163/**xxviii** (7)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग।
3– प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तराखण्ड।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6– वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा न0 261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001
7– सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
10– रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
11– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14– टी0ए0सी0 (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 वित्त/557–09–01–2009–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्याः 594 XXVii(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त मण्डालायुक्त/जिला अधिकार, उत्तराखण्ड।
3– समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 09 जून, 2010

विषयः– कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यो एवं साज–सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार का निर्धारण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः475/XXVII(7)/2007 दिनांक 15 दिसम्बर,2008 के संलग्न समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के प्रस्तर–14(ii) में परियोजनाओं के कार्यान्वयन/निमार्ण में एम0ओ0यू0 के पैरा–2 में उल्लिखित समय सारिणी में विलम्ब की दशा में 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेन्सी के देय प्रतिशत प्रभार (सैन्टेज प्रभार) से किये जाने की व्यवस्था सरकारी विभागों से भिन्न अन्य विभागों के लिए कार्यदायी संस्थाओं के लिए की गयी है, जबकि सरकारी विभागों के अधिष्ठान का समस्त व्ययभार राज्य सरकार के द्वारा वहन किये जाने के फलस्वरूप सैन्टेज चार्जेज अनुमन्य नहीं है जिसके फलस्वरूप सरकारी विभागों के द्वारा कार्य को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में सैन्टेज चार्जेज से उक्तानुसार कटौती न किये जाने के कारण कार्य समय से पूर्ण न करने पर उसके उत्तर दायित्वों का निर्धारण नहीं हो पाता है।

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः475/XXVII(7)/2007 दिनांक 15 दिसम्बर,2008 के संलग्नक में समझौता ज्ञापन के प्रस्तर–14(ii) के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कार्य को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेन्सी के देय प्रतिशत प्रभार (सैन्टेज प्रभार) से की जायेगी तथा सरकारी विभागों में योजना के समय पर कियान्वयन को सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार की कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी बनाये जाने हेतु उत्तरदायी अधिकारी के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसको दण्डित करने की कार्यवाही संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2– शासनादेश संख्याः475/XXVII(7)/2007 दिनांक 15 दिसम्बर,2008 के साथ संलग्न समझौता ज्ञापन के प्रस्तर–14(ii) केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

संख्याः (1)/xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
2.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
3.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
सं0–57/xxvii(1)/2010
देहरादूनः दिनांकः 13 अक्टूबर, 2010
कार्यालय ज्ञाप

वर्त्तमान में विभिन्न विभागों में निर्माण व विकास कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत मात्र प्लिन्थ एरिया दरों पर बने आगणनों पर दी जा रही हैं। इस प्रक्रिया में निर्माण कार्य के साथ–साथ अन्य प्रक्रियात्मक कार्यों जैसे विस्तृत आगणन का बनाया जाना, वन भूमि हस्तांतरण (NPV), भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट आदि हेतु भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन प्रक्रियात्मक कार्यों को पूर्ण करने में लगने वाले समय के कारण निर्माण कार्यों में Time/Cost over run की समस्या बनी रहती है। इससे आगणन को पुर्नरीक्षित किये जाने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। कतिपय प्रकरणों में परियोजना यथा अपेक्षित पूर्ण नहीं हो पाती है, जिससे परियोजना का पूर्ण लाभ जनता को नहीं मिल पाता है एवं शासन पर भी अनावश्यक अतिरिक्त व्यय भार पड़ता है। तद्नुसार एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत मात्र प्लिन्थ एरिया दरों पर बने आगणनों पर स्वीकृति दिये जाने की व्यवस्था को एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रकिया को सरल एवं कारगर बनाये जाने तथा परियोजना में अनावश्यक समय तथा Cost Over Run को दूर करने के उद्देश्य से परियोजना की स्वीकृति दो चरणों में दिये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में परियोजना/योजना पर वित्त विभाग में सैद्धान्तिक प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रकियात्मक कार्यों जैसे विस्तृत आगणन का बनाया जाना, वन भूमि हस्तांतरण (NPV), भू–अधिग्रहण यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि कार्यों सम्बन्धी आगणन पर वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी तथा दूसरे चरण में परियोजना रिपोर्ट (DPR) एवं विस्तृत आगणन के आधार पर वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी।

इस दृष्टि से प्रचलित व्यवस्था में गुणात्मक अभिवृद्धि करने तथा कार्यों को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत समयबद्ध/गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराने के लिये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों में निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–

1. (i) प्रशासकीय विभाग के स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु नामित संगठन/कार्य दाई संस्था द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का आंकलन तथा प्रक्रियात्मक कार्यों हेतु आगणन प्रस्तुत किया जायेगा। इस आगणन में परियोजना के प्रकियात्मक कार्यों जैसे– वन भूमि हस्तांतरण (NPV), भू–अधिग्रहण यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी, विस्तृत आगणन का बनाया जाना आदि हेतु मदवार प्रस्तावित लागत की धनराशि इंगित की जायेगी।
   इसके बाद परियोजना पर वित्त विभाग में सैद्धान्तिक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी, साथ ही साथ उपरोक्त वर्णित प्रक्रियात्मक कार्यों पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इस स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण कार्य कदापि प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
   (ii) वित्तीय स्वीकृति के आधार पर निर्माण संगठन/कार्य दाई संस्था द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तत्पश्चात् निर्माण संगठन/कार्य दाई संस्था द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) विस्तृत आगणन के आधार पर तैयार की जायेगी।
   (iii) कार्यदायी संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) एवं विस्तृत आगणन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा जिस पर वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति प्रदान की जायेगी। यदि कुल योजना/परियोजना रू0 5 करोड़ से अधिक मूल्य की है तो प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त वित्त विभाग में सहमति दी जायेगी, यदि योजना/परियोजना रू0 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की है तो शासनादेश संख्या–403/xxvii/(1)2008, दिनांक 30 मई, 2008 के अनुसार प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर पर परीक्षण के बाद वित्त विभाग में सहमति दी जायेगी।

(iv) विभाग द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आदि प्राप्त कर निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति 2008 के अनुसार निविदा आमंत्रित कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. सामान्यतः उपरोक्त प्रस्तर–1 में दी गयी प्रकिया नवीन (ग्रीन फील्ड) परियोजनाओं पर लागू होगी। कतिपय ऐसी नवीन परियोजनाऐं भी हो सकती है, जिनमें कोई जटिलता निहित नहीं हैं (जैसे भूमि उपलब्ध हैं तथा वन भूमि हस्तांतरण (NPV) का बिन्दु नहीं है,) तथा जिनमें कोई विशेष प्रारम्भिक प्रकियात्मक कार्य आवश्यक नहीं है। इस प्रकार की परियोजनाओं पर लिए सीधे परियोजना रिपोर्ट (DPR) एवं विस्तृत आगणन के आधार पर स्वीकृति दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग स्वविवेक से यह निर्णय लेंगे कि परियोजना में प्रकियात्मक कार्यों हेतु आकलन किये जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं।
3. किसी भी दशा में एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत मात्र प्लिन्थ एरिया दरों पर बने आगणनों पर स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
4. प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आवंटित करते समय शासनादेश सं0–475/xxvii(7)/2008 दिनांकः 15 दिसम्बर, 2008 में निर्धारित प्रारूप पर समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को आवश्यक धनराशि एम0ओ0यू0 के निष्पादन के बाद अवमुक्त की जा सकेगी। कार्य एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुर्नरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा तथा परियोजनाओं को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. कार्यदायी संस्थाओं को डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों एवं साज सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार शासनादेश सं0–163/xxvii(7)/2007, दिनांकः 22 मई, 2008 के अनुसार देय होगा।
6. कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में **debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 571/xxvii (1)/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, नियोजन, राज्य योजना आयोग प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वित्त नियंत्रक /वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।